



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228009
CG-DL-E-30062021-228009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2434]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943

No. 2434]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

का.आ. 2625(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 586(अ), तारीख 08 फरवरी 2021, जो भारत के राजपत्र संख्या 534 भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 09 फरवरी 2021, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रायोजन के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील – करहल

जिला – मैनपुरी

राज्य – उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	दिहुली	386	00	14	64
		387	00	02	67
		418	00	01	54
		426	00	20	27
		427	00	05	46
		480	00	00	53
		475	00	01	47
		474	00	16	61
		476	00	00	20
		473	00	01	37
		472	00	10	65
		1317/476	00	00	56
		543	00	09	77
		544	00	00	77
		545	00	15	70
		546	00	00	10
		1194	00	00	02
		1195	00	00	35
		1196	00	05	83
		1197	00	16	85

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	दिहुली	1198	00	22	76
		1199	00	00	10
		1200	00	01	00
		1208	00	01	61
		1259	00	01	09
		1258	00	10	61
		1256	00	11	10
		1257	00	00	10
		1263	00	00	49
		1266	00	05	94
		1267	00	07	19
		1269	00	06	50
		1277	00	00	80
		1278	00	01	25
		1140	00	00	57
		1097	00	08	63
		1100	00	02	59
		1099	00	02	64
		1101	00	00	10
		1103	00	12	27
		1102	00	00	10
		1104	00	00	63
		1106	00	10	03
		1135	00	05	38
		1107	00	06	06
		1134	00	00	38

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		1133	00	07	03
		1132	00	00	45
		1128	00	12	36
	दिहली	1127	00	26	91
		1115	00	00	30
		1116	00	00	10
		1126	00	00	64
		1118	00	00	44
		1117	00	13	31

[फा. सं. आर-11025(II)/20/2018-ओ.आर-1/ई-27595]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2021

S.O. 2625(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 534 part II, Section 3, Sub-section(ii) dated the 09th February, 2021, vide S.O. No. 586(E), dated the 08th February, 2021, issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from Tundla Terminal to Kanpur Terminal in the state of Uttar Pradesh by Indian Oil Corporation Limited for the transportation of petroleum products;

And whereas copies of said Gazette notification were made available to the public; and whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said act, has submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil:- Karnal

District:- Mainpuri

State :- Uttar Pradesh

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Dehuli	386	00	14	64
		387	00	02	67
		418	00	01	54
		426	00	20	27
		427	00	05	46
		480	00	00	53
		475	00	01	47
		474	00	16	61
		476	00	00	20
		473	00	01	37
		472	00	10	65
		1317/476	00	00	56
		543	00	09	77
		544	00	00	77
		545	00	15	70
		546	00	00	10
		1194	00	00	02
		1195	00	00	35
		1196	00	05	83
		1197	00	16	85
		1198	00	22	76
		1199	00	00	10
		1200	00	01	00
	Dehuli	1208	00	01	61
		1259	00	01	09
		1258	00	10	61
		1256	00	11	10
		1257	00	00	10
		1263	00	00	49
		1266	00	05	94

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
		1267	00	07	19
		1269	00	06	50
		1277	00	00	80
		1278	00	01	25
		1140	00	00	57
		1097	00	08	63
		1100	00	02	59
		1099	00	02	64
		1101	00	00	10
		1103	00	12	27
		1102	00	00	10
		1104	00	00	63
		1106	00	10	03
		1135	00	05	38
		1107	00	06	06
		1134	00	00	38
		1133	00	07	03
		1132	00	00	45
		1128	00	12	36
		1127	00	26	91
	Dehuli	1115	00	00	30
		1116	00	00	10
		1126	00	00	64
		1118	00	00	44
		1117	00	13	31

[F. No. R-11025(II)/20/2018-OR-I/E-27595]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.